

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- F2(8)/Comp/ST-142/ 764

दिनांक :- 13/11/14

## परिपत्र

विषय :- सेवाकर कटौती संबंधी दिशा-निर्देश।

पूर्व में जारी 'परिपत्र' क्रमांक F2(8)/Comp/13-14/602 दिनांक 08.11.2013 के बिन्दु सं. 5 (सेवा प्राप्तकर्ता के रूप में) में वर्णित 'संलग्नक सं. 4-5-6' में दर्शित आयकर गणना प्रक्रिया एवं पूर्व 'परिपत्र' क्रमांक F2(8)/Comp/13-14/ST-142/419 दिनांक 12.09.2013 के पृष्ठ सं. 4 पर वर्णित बिन्दु सं. 5 में यथा वर्णित आयकर गणना संबंधी निर्देशों के संबंध में एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि 'परिपत्र' क्रमांक 419 दिनांक 12.09.2013 के अनुसार ही बिल की सकल राशि (सर्विस टैक्स/वैट सहित) पर आयकर की कटौती की जानी है।

किराया अनुबन्ध पर ली गई/ली जा रही टैक्सी को बोर्ड द्वारा स्वीकृत दरों में से ही abated value जो सकल बिल का 40 प्रतिशत है पर @12.36 प्रतिशत की दर से सेवाकर कटौती करने के निर्देश हैं। सरलीकरण की दृष्टि से सकल बिल राशि में @4.944 प्रतिशत दर से शामिल सेवाकर राशि की गणना निम्न उदाहरण के अनुसार की जानी है :-

$$\frac{\text{सकल बिल राशि } \text{रु } 18000 \times 100}{104.944} = 17152.00 (-) 18000$$
$$= \text{Rs. } 848/- \text{ S.T.}$$

टैक्सी के बिल को निम्नानुसार विभाजित करते हुए शेष कार्यवाही पूर्व परिपत्रानुसार की जानी है :-

Hiring of Taxi (Conveyance Charges)	Rs. 17152/-
Service Tax-Input RCM-RHB	Rs. 848/-
	<b>Rs. 18000/-</b>

स्य  
वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/तृतीय-जयपुर, द्वितीय-जोधपुर एवं ए.वी.एस. एल. सी., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त (समस्त) को पालनार्थ।
4. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड (समस्त) को पालनार्थ।
5. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित के ई-मेल एवं बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

स्य  
वित्तीय सलाहकार